

कार्यालय, प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय

रतनपुर - 495442
जिला - विलासपुर (छ.ग.)

Special College
Code - 2812

Website: www.gmc_ratanpur.ac.in; Mobile: 9300311524, 8962311524
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com; pri-mratanpur.cg@gov.in; col-mratanpur.cg@gov.in

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति सूचना
दिनांक - 10.08.2022

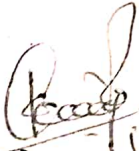
शैक्षणिक सत्र 2022 - 23 में महाविद्यालय में नियमित प्रवेश प्राप्त अल्पसंख्यक समुदायो (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम एवं ईसाई) के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल प्रारम्भ हो चुका है।

विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी आवश्यक समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय में (समय प्रातः 11.00 से 02.00 बजे तक) डॉ राजेश कुमार राय (सहा. प्रा. जन्तु विज्ञान) के पास जमा कर सकते हैं।

संलग्नको की सूची एवं अन्य आवश्यक जानकारी संलग्न प्रपत्र में उल्लेखित है।

नोट - ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी समस्त संलग्नकों सहित महाविद्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि **31.10. 2022** निर्धारित है।

रतनपुर
10.08.2022


(डॉ. राजेश कुमार राय)
छात्रवृत्ति प्रभारी


(डॉ. ए. के. लहरे)
प्राचार्य
शासकीय महामाया महाविद्यालय
रतनपुर, जिला- विलासपुर (छ.ग.)

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति (मेट्रिकोत्तर स्तर) 2022 - 23

छात्रवृत्ति सम्बंधी सामान्य जानकारी

1. **छात्रवृत्ति का लाभ** - भारत सरकार अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायो (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम एवं ईसाई) से सम्बंधित छात्र/ छात्राओं को प्रदान किया जाता है।
2. **निर्धारित समय सीमा** - छात्र/ छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख -
➤ **नवीन आवेदन एवं नवीनीकरण आवेदन हेतु - 31. 10. 2022।**
3. **पात्रता** -
➤ आवेदक भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छः अल्पसंख्यक समुदायो (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम एवं ईसाई) का विद्यार्थी हो।
➤ आवेदक वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2022 - 2023) में महाविद्यालय का नियमित विद्यार्थी हो।
➤ आवेदक ने पिछले पास किए हुए कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों।
4. **आवेदकों हेतु निर्देश** -
 - I. छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जायेंगे।
 - II. वेबसाईड - आवेदक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाईड www.scholarships.gov.in तथा विस्तृत जानकारी के लिए इस वेबसाईडका लिंक www.minorityaffairs.gov.in एवं मोबाइल एप National Scholarship (NSP) का अवलोकन एवं आवेदन कर सकते हैं।
 - III. ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश और 'बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
 - IV. आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उसी बैंक खाते का विवरण दे जो सक्रीय मोड में हो या बैंक के निर्देशों के अनुरूप हों।
5. **विस्तृत जानकारी हेतु** -
➤ आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु, वैकल्पित अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाईड www.minorityaffairs.gov.in पर या समाधान हेल्पलाइन (टोल फ्री) : 1800-11-2001 पर प्रातः 09.00 से सायं 05.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार (छुट्टी के दिन छोड़ कर) से संपर्क कर सकते हैं।
6. **संलग्नों की सूची** -आवेदक ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी के साथ निम्नलिखित दस्तावेज निम्नलिखित क्रम में अनिवार्यतः संलग्न करें -
 1. पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ - दो प्रति।
 2. ऑनलाइन प्राप्त या महाविद्यालय से प्रदत्त बोनाफाईड प्रमाण पत्र।
 3. INSTITUTION VERIFICATION FORM - दो प्रती में (फॉर्म भरते समय कम्प्युटर सेंटर द्वारा प्रदत्त)।
 4. SELF DECLARATION FORM (फॉर्म भरते समय कम्प्युटर सेंटर द्वारा प्रदत्त)।
 5. समस्त उत्तीर्ण किए गए कक्षाओं की अंकसूची (क्रमशः व्यवस्थित हो)।
 6. अन्तिम पास किए गए परीक्षा की स्व प्रमाणित अंकसूची (प्राप्तांक का प्रतिशत 50% से कम ना हों)।
 7. महाविद्यालय में वर्तमान सत्र (2022-23) में जमा किए गए फीस के रसीद की छायाप्रति।
 8. निवास प्रमाण पत्र - जो तहसीलदार द्वारा जारी किया गया हो।
 9. आय एवं जाति प्रमाण पत्र -
➤ या तो अलग अलग बनाकर जमा करें या
➤ प्रपत्र क्र (संलग्नक क्र 03) के फार्मेट के अनुसार 10 रु. के स्टैम्प में टाइप कराकर उसे नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर उसकी मूल प्रति जमा करें।

- आय सीमा - आवेदक के पालक की वार्षिक आय वर्ष 2021-22 में सभी ज्ञात श्रोत से रू 02 लाख से अधिक ना हो।
- 10. बैंक खाता की छाया प्रति -
 - बैंक खाता छात्र/ छात्रा के स्वयं के नाम का हो।
 - बैंक खाता की छायाप्रति में खाता क्रमांक एवं IFSC कोड संख्या स्पष्ट अंकित हो।
 - बैंक खाता क्रमांक उसके आधार से लिंक हो।
- 11. आधार कार्ड की छायाप्रति।

नोट -

1. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले समस्त छायाप्रति छात्र/ छात्रा द्वारा स्वप्रमाणित किए गए हो।
2. आवेदन पत्र के साथ सभी संलग्नकों को ऑनलाइन उपलोड करना अनिवार्य है।
3. विद्यार्थी को शासन द्वारा प्रदत्त कोई भी एक ही छात्रवृत्ति प्रदान किया जावेगा।

रतनपुर

10.08.2022



10.08.2022

(डॉ. राजेश कुमार राय)
छात्रवृत्ति प्रभारी



(डॉ. ए. के. चौधरी)
शासकीय प्राध्यापक महाविद्यालय
रतनपुर, जिला- बिलासपुर (छ.ग.)